

विबंदक,

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

दूरभाष : 91-145-2627620 फैक्स : 91-145-2427072, 2627001 ई-मेल : bor-ri@nic.in

1. बोली आमंत्रण की सूचना (NOTICE INVITING BIDS)

Nib No. BOR/Photostat Service/OCB/Rs.85,000 / 2026/ 08

Dt. : 29/09/2026

विषय : राजस्थान सरकार के महामहिम राज्यपाल की ओर से राजस्व मण्डल कार्यालय में आमजन एवं अभिभाषकों को न्यायिक दस्तावेजों की फोटोप्रति उपलब्ध करवाये जाने के प्रयोजनार्थ संवेदक के माध्यम से फोटोस्टेट मशीन मय प्रदाता सेवा उपलब्ध करवाने हेतु खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रित की जा रही है।

निविदा की विषय वस्तु	संवेदक के माध्यम से फोटोस्टेट मशीन मय प्रदाता सेवा उपलब्ध करवाने बाबत	
निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	दिनांक : 29/09/2026	समय : 10:00 am
निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि	दिनांक : 06/10/2026	समय : 06:00 pm
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक : 07/10/2026	समय : 12:30 pm
निविदा प्रपत्र की तकनीकी बोली खोलने की तिथि	दिनांक : 07/10/2026	समय : 04:00 pm
निविदा प्रपत्र की वित्तीय बोली खोलने की तिथि	तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को मोबाईल / टेलीफोन से सूचित किया जायेगा	
स्थान	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर	

1. अनुबंध की शर्तें, मूल्यांकन एवं योग्यता मानदंड, बोली फार्म, डिजाइन/ड्राईंग स्पेसिफिकेशन, आपूर्ति अनुसूची आदि सहित बोली दस्तावेज बोलियाँ खोली जाने की दिनांक से एक दिन पहले तक कार्य दिवसों के दौरान कार्य प्रसारित समय में उपापन संस्था के कार्यालय में देख सकते हैं। साथ ही बोली दस्तावेज उपापन संस्था की वेबसाइट www.landrevenue.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं एवं बोली दस्तावेज का मूल्य यूजर चार्ज/प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई हो, दस्तावेज जमा करने के साथ बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जायेगा।
2. निर्धारित तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त बोलियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बिना खोले ही लौटा दी जायेगी।
3. बोलियाँ, बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित होना चाहते हैं के सम्मुख दिनांक : 07/10/2026 को समय 04:00 PM पर खोली जाएगी।
4. उक्त बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, GF&AR, PWF&AR के प्रावधान तथा हुए संशोधनों के अनुसार जारी की जा रही है तथा साथ ही उक्त उपापन प्रक्रिया इन अधिनियम एवं नियमों एवं संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
5. विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्राधिकार अजमेर न्यायालय होगा।

9/10

9/10

9/10

2. BID - DATA - SHEET

Name of the subject matter	Photostat machine with service provider
Required no. of items Subject matter	Photostat machine with service provider
Nature of subject matter	Service
Method of procurement	Open Competitive bid
Estimated Cost	Rs. 85000/- (Eighty five thousand Rupees only)
Date of Publishing BID DOCUMENT	29 /09/2026
Bid Security	Rs. 1700/- (2% of estimated cost)
Last Date of Bid submission & Time	07/10/2026 Time 12:30 P.M.
Technical Bid Opening Date, Time & Place	07/10/2026 Time 04:00 P.M., Revenue Board, Ajmer
Financial Bid Opening Date, Time & Place	Successful Bidders will be informed accordingly
Website for downloading BID / BID Document etc.	http://landrevenue.rajasthan.gov.in/bor/
Proposal & BID Validity	90 days from the last date of bid submission

2

13

Sanand.

Scope of Work

Name of Subject Matter : Photostat Machine with Service provider

Specification of Subject Matter : Attached

No of Item : As per requirement

Work Period : Daily Basis

Delivery Location : Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer

Checklist BID DATA SHEET

(Has to be filled by Bidder necessarily)

1. Technical Requirement (Technical Envelope)

S.No.	Name of Requirement	Response	Attached at page no.
1.	Self-declaration Regarding Blacklisting / Debarment (Annexure-F)	Yes / No	
2.	Signed Bid Document	Yes/No	
3.	PAN Card Copy	Yes/No	
4.	Affidavit on 100 Rs. Stamp Paper (Annexure-G)	Yes/No	
5.	GST Registration Certificate	Yes/No	
6.	Experience Certificate (गत 3 वर्षों में राजकीय कार्यालय में समान कार्य करने के न्यूनतम 2 कार्यदेश) (Annexure-H)	Yes/No	
7.	Bid Security @ 2% (1700/-)	Yes/No	
8.	Bid Documents fee @ 200/-	Yes/No	

1. बोलीदाता का उक्त वांछित आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करना अनिवार्य होगा और बोली के साथ वांछित दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे अन्य स्थिति में बोली को Technical Qualify नहीं मानते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

2 Financial Requirement (Financial Envelope)

S.No.	Requirement	Result
1.	Price Schedule in required format	Yes/No

1. बोलीदाता द्वारा विषय-वस्तु की दरें निर्धारित प्रपत्र में ही अंकित की जानी है अन्यथा बोली को अस्वीकृत माना जायेगा।
2. बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली का प्रपत्र एक अलग लिफाफे में सीलबन्द रूप में प्रस्तुत करना होगा।

98

Handwritten signature

3. बोली जमा सूची (Bid Submission Sheet)

दिनांक

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक.....

सेवामें,

निबंधक,

राजस्व मण्डल राजस्थान,

अजमेर।

दूरभाष : 91-145-2627620 फैक्स : 91-145-2427072, 2627001 ई-मेल : bor-rj@nic.in

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, घोषणा करते हैं कि:

- (i) हमने बोली दस्तावेज पढ़ लिया है, जाँच लिया है, और हमें इसमें वर्णित प्रावधानों से किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है।
- (ii) हम बोली दस्तावेजों में वर्णित की गई उपापन की विषय वस्तु (मय स्पेसिफिकेशन एवं अन्य निर्देशों सहित) के अनुरूप एवं प्रदाय अवधि की अनुसूची में वर्णित अवधि के अनुसार निम्नलिखित सेवा एवं संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हैं।
(क).....
(ख).....
- (iii) बोली दस्तावेजों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हमारी बोली, बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से 90 दिनों की कालावधि तक वैध रहेगी एवं यह हम पर बाध्यकारी होगी और निश्चित की गई वैधता अवधि से पूर्व तक किसी भी समय उपापन संस्था द्वारा स्वीकार की जा सकेगी।
- (iv) यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो उस के सही संपादन हेतु हमारे द्वारा कुल प्रदाय राशि का 5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में जमा करवाया जायेगा या नियमानुसार इस हेतु कार्य संपादन प्रतिभूति की घोषणा की जायेगी।
- (v) हमारी फर्म, आपूर्तिकर्ता या उप बोलीदाता, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, भारतीय नागरिकता रखती है।
- (vi) हम, बोलीदाताओं हेतु बोली दस्तावेजों में वर्णित अर्हता, पात्रता एवं योग्यता की शर्तें पूरा करते हैं और विषय वस्तु के उपापन में हमारा कोई हित विरोध नहीं है। हम इस बोली प्रक्रिया में एक से ज्यादा बोलीदाताओं के रूप में भाग नहीं ले रहे हैं।
- (vii) हमारी फर्म, इसकी सहायक और संबंधित ईकाईयाँ, आपूर्तिकर्ता एवं उप बोलीदाता, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, को राज्य सरकार द्वारा या उपापन संस्था द्वारा निषेध नहीं किया गया है।
- (viii) जब तक कि औपचारिकता करार तैयार एवं संपादित नहीं हो जाता है, यह बोली एवं आपके द्वारा प्रेषित आशय पत्र/स्वीकृति पत्र आपके व हमारे बीच बाध्यकारी करार होगा।
- (ix) आप उच्चतम बोलीदाता या अन्य किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, यह प्रावधान हम स्वीकार करते हैं।
- (x) उपापन संस्था या इसका कोई भी प्रतिनिधि हमारे लेखों, रिकार्ड एवं बोली जमा करने से संबंधित किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा तथा उनके द्वारा नियुक्त कोई भी लेखा परीक्षक इनकी लेखा जाँच कर सकेगा।

ॐ

ॐ

ॐ

(xi) अन्य यदि कोई हो :-.....

हस्ताक्षर:-.....

नाम:-.....

पदनाम:-.....

किसकी ओर से (बोलीदाता का नाम):-.....

दिनांक:-.....

टेलीफोन न०:-..... फैक्स न०:-..... ईमेल:-.....

स्थायी पता

.....

.....

2

93

Signature

मूल्य अनुसूची (Price Schedule)

बोलीदाता का नाम :-
बोली आमंत्रण की सूचना क्रमांक

-: मण्डल कार्यालय में सेवा प्रदाता / बोलीदाता द्वारा उपयोगित कक्ष का किराया :-

क्र.सं. (1)	मण्डल कार्यालय के उपयोग लिए जाने वाले कक्ष का निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया / शुल्क (आंशित मूल्य) (2)	सेवा प्रदाता / बोलीदाता द्वारा देय मासिक किराया / शुल्क (अंको में) (3)	शब्दों में (4)
1.	7038 / -		

नोट :-

1. कॉलम 4 में अंकित उच्चतम राशि के आधार पर बोलीदाता का चयन किया जायेगा।

हस्ताक्षर:-.....
नाम:-.....
पदनाम:-.....
दिनांक -.....





—: संवेदक द्वारा फोटो कॉपी कार्य हेतु अधिकतम वसूलीय राशि का विवरण :-

Photostat Machine with Man

क्र. सं.	विवरण	संख्या	मण्डल कार्यालय द्वारा निर्धारित फोटोकॉपी कार्य हेतु वसूलीय राशि
1.	आम जनता एवं अभिभाषकों को उपलब्ध करवाई जाने वाली फोटो प्रति की दर	फोटोकॉपी की दर प्रति पृष्ठ (एक ओर)	A4 FS
		पृष्ठ के दोनों ओर फोटोकॉपी की दर प्रति पृष्ठ	1/- 1.5/- 3/-

—: मशीन का विवरण :-

S.No.	Machine Details		Paper Details	
	Brand Name with Model No	Date of Purchase	GSM	Paper Size
		Not prior to year 2021	70GSM	A4 / FS

हस्ताक्षर:-

नाम:-

पदनाम:-

किसकी ओर से अधिकृत(बोलीदाता का नाम):-

दिनांक:-

टेलीफोन न0:- फैक्स न0:- ईमेल:-

Sharma

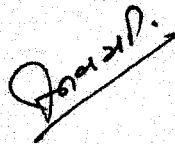
JS

4. INSTRUCTION TO BIDDERS बोलीदाताओं हेतु निर्देश

1. उपापन की विषय वस्तु के लिए खुली बोली पद्धति आमंत्रित की जा रही है। जिसकी अवधि कार्यादेश अथवा कार्यादेश में अंकित तिथि से 01 वर्ष तक मान्य होगी। जिसे नियमानुसार आपसी सहमति के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
2. उपापन की विषय वस्तु के लिए खुली बोली पद्धति के द्वारा मण्डल कार्यालय में आमजन एवं अभिभाषकों को न्यायिक दस्तावेजों की फोटोप्रति उपलब्ध करवाये जाने के प्रयोजनार्थ संवेदक के माध्यम से फोटोस्टेट मैन विद मशीन सेवा उपलब्ध करवाये जाने हेतु की जा रही है। उपापन हेतु एकल चरण दो लिफाफा पद्धति अपनाई जानी है, जिसमें तकनीकी दस्तावेज मूल्य का प्रमाण पत्र, बोली प्रतिभूति राशि, विषयवस्तु का स्पेशिफिकेशन, हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज एवं अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे एवं वित्तीय बोली (निर्धारित एवं संलग्न प्रपत्र में) प्रस्तुत करनी होगी।
3. मशीन एवं फोटोकॉपी की गुणवत्ता का मण्डल द्वारा कभी भी परीक्षण किया जा सकता है, जिसके सही नही पाये जाने की स्थिति में बोलीदाता को प्रतिदिन राशि रु. 200 जुर्माना देय होगा।
4. फोटोकॉपी हेतु मण्डल द्वारा प्रति पृष्ठ अधिकतम दर निर्धारित की गई है, जिसके अनुरूप ही संवेदक द्वारा तृतीय पक्षकार से राशि वसूल की जावेगी।
5. फोटो स्टेट मशीन उच्च तकनीकी क्षमता मय जूम फेसेलिटी की आवेदनकर्ता द्वारा लगाई जावेगी। जिसके लिए एक अनुभवी व्यक्ति भी मशीन मशीन संचालन हेतु बोलीदाता द्वारा लगाया जायेगा।
6. दस्तावेज प्रपत्र मण्डल कार्यालय, मण्डल की वेबसाइट www.landrevenue.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।
7. फोटो कॉपियर मशीन मण्डल कार्यालय में बतलाये गये कक्ष व स्थान पर रखी जावेगी तथा फोटो कॉपी कराने का सामान्य समय प्रातः 9.30 बजे से सायः 6.00 बजे तक रहेगा। कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से निर्धारित समय पश्चात् व राजकीय अवकाशों के दौरान भी कार्य किया जायेगा।
8. अनुबन्धकर्ता को कार्यालय के दस्तावेजों की गोपनीयता रखनी होगी तथा दस्तावेजों में हेरफेर/कूट रचना, अवैधानिक कार्यवाही करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
9. अनुबन्धकर्ता मण्डल कार्य के अतिरिक्त (प्राईवेट) कार्य उक्त मशीन पर बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लिए नहीं करेगा।
10. अनुबन्धकर्ता द्वारा स्थापित मशीन की मरम्मत आदि स्वयं के स्तर पर एवं खर्च पर की जावेगी। टोनर/ड्रम/डवलपर/पेपर व अन्य आवश्यक सामग्री अनुबन्धकर्ता की होगी।

11. जी.एस.टी के प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
12. मशीन को सही हालत में रखने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी, किन्हीं कारणों से यदि मशीन खराब हो जाती है तो वैकल्पिक व्यवस्था संविदाकार को इस प्रकार करनी होगी कि राजकार्य में व्यवधान ना पड़े एवं सामान्य रूप से निर्धारित समय सीमा में कार्य सम्पन्न हो। इसके असफल रहने पर मण्डल अन्य व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा।
13. बोलीदाता अपनी मशीन की चोरी/नष्ट/नुकसान होने के दृष्टिगत चाहे तो अपनी मशीन का बीमा भी करवा सकता है। मशीन में किसी भी प्रकार के नुकसान/हानि की जिम्मेदारी राजस्व मण्डल की नहीं होगी।
14. अनुबन्धकर्ता/आवेदनकर्ता द्वारा मण्डल कार्यालय द्वारा निर्धारित कक्ष का प्रयोग हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित किराया राशि/शुल्क मासिक रूप से मण्डल को भुगतान किया जायेगा। एवं उपभोग की जाने वाली बिजली हेतु सबमीटर अनुसार समय पर बिल भरना होगा।
15. अनुबन्धकर्ता/संचालनकर्ता को अनुमोदित राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप में विभाग में जमा करानी होगी, जिन्हें कार्य संतोषजनक होने के दृष्टिगत अनुबंध अवधि समाप्ति पर लौटा दिया जायेगा।
16. अनुबन्धकर्ता को निविदा से संबंधित राशि (डी.डी./एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट/चालान इत्यादि) निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के नाम से जमा करानी होगी।
17. अनुबन्धकर्ता को, आमजन से प्रति पृष्ठ फोटोस्टेट राशि वसूल की अनुमोदित दर, स्वयं के खर्च पर कम से कम तीन स्थानों पर प्रदर्शित करनी होगी। संवेदक द्वारा उक्त दर से अधिक दर वसूल किये जाने की स्थिति में लिखित शिकायत पर अनुबंध को समाप्त कर दिया जावेगा।
18. अनुबन्धकर्ता/बोलीदाता को फोटोकॉपियर मशीन ऑपरेटर से संबंधित परिचय पत्र (फोटो आई.डी. युक्त) मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। ऑपरेटर किसी भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होना चाहिए। यदि मशीन ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को सेवा प्रदाता बदलना चाहे तो इसकी अनुमति 'निबन्धक' राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्राप्त करनी होगी।
19. श्रम अधिनियम के तहत किसी भी मुकदमें के लिए राजस्व मण्डल जिम्मेदार नहीं होगा।
20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय 'निबन्धक' राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर का होगा तथा न्यायक्षेत्र अजमेर रहेगा।
21. पक्षकार/अभिभाषकगण को उपलब्ध कराई जाने वाली नकलो आदि के लिए आवश्यक कागज स्वयं अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने होंगे। संवेदक को उक्त कार्य के लिए मण्डल से किसी प्रकार की स्टेशनरी (पेपर सामग्री) उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
22. सेवा उपापन की समस्त कार्यवाही RTPP Act, 2012 RTPP Ruls 2013 एवं GF&AR, PWF& AR के प्रावधानों के तहत की जायेगी।





23. राजस्व मण्डल कार्यालय में यथासमय आवश्यकता होने पर मण्डल कार्य की पेपर सामग्री पर फोटोकॉपी की जावेगी।
24. कक्ष का उपयोग केवल फोटोकॉपी कार्य हेतु किया जायेगा।
25. संवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के कक्ष एवं फर्नीचर में किसी प्रकार का फेर बदल नहीं किया जाएगा ना ही किसी प्रकार की क्षति पहुँचायी जाएंगी अथवा भवन/बिजली व्यवस्था में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
26. संवेदक द्वारा रखे गए ऑपरेटर को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एवं अन्य सुविधाएँ श्रम कानूनों के तहत उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व संवेदक का स्वयं का होगा।
27. संवेदक द्वारा किराया राशि/शुल्क मण्डल कार्यालय में प्रति माह की 10 तारीख से पहले अग्रिम जमा करवानी होगी। विलम्ब की स्थिति में प्रतिदिन रु. 250/- (साधारण ब्याज) की दर से पेनल्टी देय होगी।
28. बिजली के बिल का भुगतान टीपीएडीएल द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा।
29. संवेदक द्वारा कक्ष का किराया एवं बिजली बिल की राशि बैंकर चेक, डीडी, एवं ई-ग्रास चालान (0070-60-800-20-00 अन्य विविध प्राप्तियाँ) के माध्यम से "निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर" के नाम जमा कराई जायेगी।

क

५

५००००

5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 7 की अनुपालना में बोलीदाता द्वारा घोषणा

(Declaration by Bidder in Compliance of section 7 of Act)

—: बोलीदाता द्वारा घोषणा :—

आपके द्वाराउपापन के लिये जारी की गई बोली आमन्त्रण सूचना क्रमांक..... के परिप्रेक्ष्य में हमारी जमा की गई बोली के कम में, मैं/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुरूप घोषणा करते हैं, कि :-

- (i) मैं/हम, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्रोत रखता हूँ तथा साथ ही आवश्यक अपेक्षित सक्षमता धारित करता हूँ/करते हैं।
- (ii) मैं/हम, ऐसे कर्तव्यों को जो कि बोली दस्तावेजों के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, को संदत्र करने की बाध्यता को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।
- (iii) मैं/हम, यह घोषणा करते हैं कि मैं/हम दिवालिया रिसिवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हूँ/हैं, या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ/होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्याकलाप रखूँ/रखेंगे, न अपने कारोबार के कार्याकलाप निलंबित रखूँ/रखेंगे, ओर न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यशक्तियों के अध्यक्षीन होऊँगा/होगे।
- (iv) मैं/हम, घोषणा करते हैं, कि अपने आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दूर्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं,
- (v) मैं/हम, घोषणा करते हैं, कि बोली दस्तावेज के अनुसार, हमारे कोई हित के विरोध की स्थिति नहीं है, जो कि उचित प्रतियोगिता को तात्त्विक रूप से प्रभावित करें,
- (vi) मैं/हम, घोषणा करते हैं, कि हमारी फर्म को राजस्थान में किसी भी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड/डिबार नहीं किया गया है।
- (vii) मैं/हम, घोषणा करते हैं, कि हमारी फर्म विगत.....वर्षों से पूर्वकथित फोटोस्टेट मशीन मय सेवा प्रदाता का कार्य कर रही है।
- (viii) मैं/हम, घोषणा करते हैं, कि हमने निविदा दस्तावेज के नियमों अथवा शर्तों की स्वीकृति के रूप में निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मोहर के साथ अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर:-.....

नाम:-.....

पदनाम:-.....

पता मय दूरभाष:-.....





6. उपापन / अनुबंध / करार की सामान्य शर्तें

(General Conditions of Contract)

1. उपापन संस्था के समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला बोलीदाता या कोई भी व्यक्ति नियमों में उल्लिखित "सत्यनिष्ठा संहिता" की पालना करेगा। सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी उपबंध के भंग होने की दशा में उपापन संस्था नियमानुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।
2. उपापन संस्था या उसके कार्मिक और बोली लगाने वालों के मध्य नियमानुसार "हित विरोध" की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
3. कोई भी नैसर्गिक व्यक्ति, प्राईवेट संस्था, सरकारी स्वामित्व वाली संस्था या जहाँ बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात हो, किसी करार के किये जाने के औपचारिक आशय से उनका कोई समुच्चय या विद्यमान करार के अधीन सहउद्यम के रूप में बोली लगाने वाले के रूप में पात्र हो सकते हैं। सेवा के उपापन की दशा में बोली लगाने वाला सेवा का विनिर्माता, वितरक या सद्भावी व्यवहारी होना चाहिए और वह विनिर्दिष्ट रूप विधान में उसके आवश्यक सबूत देगा। साथ ही किसी बोली लगाने वाले की पात्रता नियमों में वर्णित उपबंधों के अनुसार होगी।
4. लघु उद्योगों, रुग्ण उद्योगों या अन्य प्रकार के उपक्रमों के मामलों में बोली प्रतिभूति का संपादन नियमानुसार किया जायेगा। नियमों में उल्लेखित मामलों में बोली प्रतिभूति समपूहृत की जा सकेगी। असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का नियमानुसार प्रतिदाय कर दिया जायेगा।
5. उपापन संस्था द्वारा, बोली दस्तावेजों में, यदि कोई परिवर्तन या स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, जो कि बोली दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट निबंधनों को सारवान रूप से प्रभावित करता है, तो उपापन संस्था बोली लगाने वालों को पर्याप्त समय प्रदान कर सकेगी और तत्पश्चात् यथा उपांतरित बोली पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जा सकेगा।
6. बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि सामान्यतः 90 दिनों की होगी। विशेष परिस्थितियों में उपापन संस्था कालावधि में विस्तार कर सकेगी। तत्पश्चात् जिन्होंने विस्तार से सहमति जताई हो, उन्ही बोलियों को मूल्यांकन हेतु स्वीकृत माना जायेगा।
7. बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट समय, तारीख एवं स्थान पर, बोली लगाने वालों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहे, की उपस्थिति में बोलियाँ खोली जायेगी।
8. बोलियों की परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना, एवं अर्हता के दौरान बोली मूल्यांकन समिति स्वविवेक से किसी बोली लगाने वाले को उसकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकेगी और ऐसे स्पष्टीकरण के लिए समिति का अनुरोध और बोली लगाने वाले का प्रत्युत्तर लिखित में होगा। किन्तु किन्ही गणितीय त्रुटियों की शुद्धि को पुष्ट करने के सिवाय बोली की कीमतों या सार में कोई भी परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
9. उपापन संस्था वस्तु विशेष के उपापन से संबंधित प्रक्रिया में नियमानुसार गोपनीयता के संरक्षण के लिए शर्तें अधिरोपित कर सकेगी।
10. उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और उपापन के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
11. उपापन संस्था नियमानुसार किसी बोली को उपवर्जित कर सकेगी। सशर्त बोलियाँ अस्वीकार किये जाने योग्य होगी।
12. उपापन संस्था बोली की प्रत्युत्तरदायित्वता का अवधारण करेगी। एवं बोली को प्रत्युत्तरदायी तब ही मानेगी जब कि वह बोली दस्तावेजों में उपवर्णित समस्त उपेक्षाओं के अनुरूप है।
13. बोलियों के मूल्यांकन और उपापन के अधिनिर्णय में नियमानुसार कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।

60

61

Dr. Anand.

14. तकनीकी अपेक्षाओं को पूर्ण करती हुई अधिकतम किराया दर वाली बोली को सफल बोली माना जाने हेतु विभाग बाध्य नहीं होगा।
15. यदि कोई उपापन प्रक्रिया रद्द कर दी गयी है तो उसे पुनः खोला नहीं जायेगा किन्तु उपापन संस्था द्वारा यदि अपेक्षित है तो, उसी विषय वस्तु के लिए, नयी उपापन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।
16. कार्य संपादन प्रतिभूति आवश्यक होगी तथा साथ ही नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति की घोषणा ली जायेगी, जहाँ इसके लिए नियमों में प्रावधान किया गया हो। कार्य संपादन प्रतिभूति नियमों के विहित प्रारूपों में दी जा सकेगी। कार्य संपादन प्रतिभूति की रकम सामान्यतया सेवा और सेवाओं के उपापन के मामलों में प्रदाय आदेश की रकम की 5% होगी। विशेष परिस्थितियों में कार्य संपादन प्रतिभूति का समपहरण नियमानुसार किया जा सकेगा।
17. बोली लगाने वाले को स्वयं के खर्च पर नियमानुसार रुपये 500/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किये जाने की दिनांक से 07 दिवस के भीतर उपापन / करार पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि वो ऐसा करने में विफल रहता है, तो उपापन संस्था उसके विरुद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी।
18. परीक्षण प्रभार उपापन संस्था द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं हैं, तो परीक्षण प्रभार बोलीदाताओं द्वारा वहन किये जाएंगे।
19. बोलीदाता अपनी उपापन को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोपेगा या उप-भाड़े (Sub Let) पर नहीं देगा।
20. यदि बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप, जो कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या उसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह इस हेतु पदाभिहित अधिकारी को नियमानुसार अपील दायर कर सकेगा। इस हेतु नियमानुसार परिस्थितियों में समस्त कार्यवाही इस अधिनियम, नियम व मार्गदर्शन के अनुबंधों के अनुसार की जायेगी।
21. बोली दस्तावेजों में सम्मिलित सभी भागों को या दस्तावेजों को एकीकृत रूपों में समझा जावेगा।

हस्ताक्षर (बोलीदाता)

नाम:-.....

पदनाम:-.....

पता:-.....

टेलीफोन नं०:-.....

फैक्स नं०.....

ईमेल.....

क

क

Handwritten signature

Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- A. Not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- B. Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- C. Not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- D. Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidder with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- E. Not indulge in any coercion including impairing or harming or treating to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- F. Obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- G. Disclose conflict of interest, if any; and
- H. Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

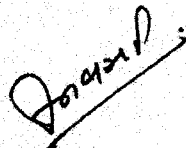
Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulation.

A Bidder may be considered to be Conflict of Interest With one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

- A. Have controlling partners/shareholders in common; or
- B. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- C. Have the same legal representative for purposes of the bid; or
- D. Have a relationship with each other, directly or through common third parties. That puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process's

- E. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved, however, this does not limit the inclusion of the same sub contraction, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- F. The bidder or any of its affiliates participated as consultant in preparation of the design or technical specifications of the good, works or services that are the subject of the bid; or
- G. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

G

P

J. J. J.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to.....for procurement of.....in response to their Notice Inviting Bids No.....Dated.....I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct to the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition:
6. Our firm has not been blacklisted/debarred anywhere in the Rajasthan.
7. Our firm is dealing in the aforesaid procured good i.e. Photostat Machine with service provider for the last..... years (please mention the number of years. minimum one year experience is required as per tender document.
8. I/we have put mu/our signature along with seal of my/our firm on every page of the tender document as a token of acceptance of the terms & conditions of the tender document.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

General

9

10

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is (CHAIRMAN, BOARD OF REVENUE, RAJASTHAN AJMER)

The designation and address of the Second Appellate Authority (SECRETARY, BOARD OF REVENUE, RAJASTHAN AJMER)

1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in Contravention to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document with in a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feel aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter or financial Bids be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 3) If the officer designated under Para(1) fails to dispose off the appeal filed within the period specified in Para(2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or prospective bidder or the procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf with in fifteen days from the expiry of the period specified in Para(2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate, as the case may be.

4) Appeal not to lie in certain case

No appeal shall lie against any decision of the procuring Entity to the following matters, namely:-

- a) Determination of need of procurement;
- b) Provision limiting participation of Bidder in the Bid process;
- c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- d) Cancellation of a procurement process;

e) Applicability of the provisions of confidentiality;

5) Form of Appeal

a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

c) Every appeal may be presented to first appellate authority second appellate, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6) Fee for filing appeal

a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

b) The fee shall be paid in the form bank demand draft banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7) Procedure for disposal of appeal

a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, shall-

i. Hear all the parties to appeal present before him; and

ii. Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State public procurement portal.

60

Q

Grand:

FORM No. 1
See rule 83)

**Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in public procurement
 Act, 2012**

Appeal No.....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(1) Name of the appellant:

(2) Official address, if any:

(3) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s)

(i).....

(ii).....

(iii).....

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal :

.....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer :

.....

Place.....

Date.....

Appellant's signature

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

Annexure E: Declaration by the Bidder regarding Qualification

In relation to my/our Bid submitted to **"REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER"** for procurement of **PHOTOSTATE MACHINE WITH SERVICE PROVIDER** in response to their **NIB NO. : BOR/Photostat Service/Open BID/Ra.85,000 / 2026/ 08** Dt. : **29/09/2026.**

I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition:

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Mobile No. :




Annexure F: Declaration by the Bidder regarding Blacklisting / Debarred

In relation to my/our Bid submitted to **"REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER"** for procurement of **PHOTOSTAT MACHINE WITH SERVICE PROVIDER** in response to their **NIB NO. : BOR/Photostat Service/OCB / Rs. 85,000 / 2026/ 08** Dt. : **29/09/2026.**

I/We hereby declare that my/our firm has not been **BLACKLISTED / DEBARRED** by any Government / Private / Public Department in any way in preceding three years.

Date:**Place:****Signature of bidder****Name:****Designation:****Address:****Mobile No. :**

B

B

J. Singh.

(Annexure-G)

शपथ-पत्र(राशि रुपये 100 के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)

Nib No. BOR/Photostat Service/OCB/Rs. 85,000 / 2026/08

Dt. 29/09/26

मैसर्स (कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पता)

..... शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. बिड क्रमांक मय दिनांक में मेरे/हमारे द्वारा दी गयी समस्त जानकारी/दस्तावेज पूर्णतया सही हैं।
2. मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी कम्पनी/फर्म/एजेन्सी, केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा विगत 03 वर्षों में Black Listed/Debar/ नहीं की गयी हैं।
3. बोली प्रपत्र में मांगी गई विभिन्न प्रकार के पंजीकरण के प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न कर दी गई हैं एवं समस्त दस्तावेज पूर्णतया सही हैं तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी/हमारी रहेगी।
4. उपरोक्त बिड संख्यामें चाही गई/संलग्न की गई सूचनाएँ प्रमाण पत्र गलत/कूटरचित पाया जाता है तो विभाग किसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Mobile No. :

७

३



Annexure H: Declaration by the Bidder regarding Work Experience

In relation to my/our Bid submitted to **"REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER"** for procurement of **PHOTOSTAT MACHINE WITH SERVICE PROVIDER** in response to their **NIB NO. : BOR/Photostat Service/OCB/Rs. 85,000 / 2026/ 08** Dt. : **29/09/2026.**

I/We hereby declare that my/our firm has worked for government /Public Department in preceding three years.

Sr.NO	Organization	Year in which service Rendered	Amount of the service rendered
1			
2			
3			
4			

The bidder must submit the above-mentioned work orders otherwise the PE will not entertain the above information.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Mobile No. :



